शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 4, pp (15-23), Month: Dec. 2018

मेवाड़–मराठा संघर्ष में अमरचन्द बड़वा की भूमिका

डॉ0 सुशीला शक्तावत
सह–आचार्य, इतिहास विभाग, जे0एन0यू0वी0, जौधपुर
Email: sushilashaktawat@yahoo.com

सारांश

इस आलेख में मेवाड़ के प्रधान मंत्री अमरचन्द बड़वा के कार्यों व उपलब्धियों के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है, विशेषतः मेवाड़ राज्य को किस प्रकार मराठा आक्रमण से सुरक्षित किया गया, मराठों का सामना किस सुझबुझ से किया गया, इन पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्द– *अरिसिंह, रतनसिंह, महादजी सिंधिया, पेशवा, समरू, रावराजा अजीतसिंह।*

प्रस्तावना

महाराणा अरिसिंह 1761 में मेवाड़ का शासक बना। बाह्य एवं आंतरिक समस्याओं में उलझा होने पर भी उसने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। दूसरों की बातों मे आकर गलत व अव्यवहारिक कदम उठा लेता था। इसी प्रकार की बातों में आकर उसने अपने योग्य एवं राज्य के हितैशी अधिकारी अमरचन्द बड़वा को हटाकर उसके स्थान पर जसवंतराय पंचोली को अपना मुसाहब तथा महता अगरचन्द को अपना सलाहकार बनाया। महाराणा द्वारा तब किये गये परिवर्तन से अप्रसन्न सामन्त और अधिक असंतुष्ट हो गये। वे समझ गये कि महाराणा इस तरह अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। उसने अपने सामन्तों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सिन्ध व गुजरात से मुसलमान सैनिक बुलाये तथा उनकी मेवाड़ में नियुक्तिया की।[1]

इस समय मेवाड़ में एक ही समय में दो महाराणा हो गये। एक अरिसिंह जिसकी राजधानी उदयपुर थी तो दूसरा रतनसिंह जिसकी राजधानी कुम्भलगढ़ घोषित की गई। अब वे अपने–अपने पक्ष को मजबुत करने में जुट गये।

महाराणा इस समस्या में उलझा हुआ था, तभी मराठा आक्रमण की चिन्ता ने भी उसे चिन्तित कर दिया। जुलाई 1765 में सिन्धिया की सेना जावद के निकट आ कर ठहर गई। महाराणा ने मराठों से समझौता करने की नीति अपनाई, किन्तु उसके सभी प्रयास विफल रहे। अंततः मराठा प्रतिनिधि अव्युत राव गणेश महाराणा से 5 लाख रूपया वसूल करने में सफल रहा तथा शाहपुरा से भी उसने चौथ की रकम वसूल की।[2]

मराठों को दी जाने वाली चौथ में सिन्धिया होल्कर और पेशवा का हिस्सा था। यहां नियुक्त कमाविसदार का यह कार्य था कि रकम वसूल कर तीनों ही को निश्चित अनुपात में धन भेज दे। कमाविसदार जब धन वसूल नहीं कर पाता तो होल्कर, सिंधिया अपना–अपना धन सैनिक प्रदर्शन के माध्यम से वसूल करते थे। बहुत सी बार ऐसा भी होता था कि होल्कर,

सिंधिया द्वारा वसूल किया गया धन पेशवा को बिल्कुल भी नहीं पहुंचता था। अतः उसकी मांग निरन्तर बनी रहती थी। इसलिए 1766 में मेवाड़ के प्रतिनिधि मुंशी चिमनलाल ने इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श द्वारा 16 नवम्बर 1766 ई. को एक समझौता कर सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया।[3]

महाराणा अरिसिंह ने मेवाड़ को मराठा उपद्रवों से बचाने के कई उपक्रम किये किन्तु इसमे उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। वह इस ओर कुछ करने का प्रयत्न करता किन्तु मेवाड़ की आंतरिक स्थिति एक नया मोड़ ले रही थी जिससे मराठा विरोध के स्थान पर मेवाड़ को अब उन्हें निमंत्रण देकर मनचाहा द्रव्य तक देना स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि मेवाड़ गद्दी के दोनों ही दावेदार अपनी–अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयत्नों में लगे हुए थे।[4]

1768 में मराठा महादजी सिंधिया ने अरिसिंह का सहयोग हेतु 20 लाख रूपये लेना तय किया। लेकिन रतनसिंह द्वारा 50 लाख रूपये में राजगद्दी पर बैठाने के लिये महादजी सिंधिया अरिसिंह के विरूद्ध युद्ध के लिये तैयार हो गया। अरिसिंह द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से महादजी सिंधिया से सन्धि का प्रयास किया गया जो कि असफल रहा। फलतः 13 जनवरी 1769 को क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में मेवाड़ की सेना (अरिसिंह के पक्ष की) का मराठों के साथ संघर्ष हुआ जिसमें प्रारंभ में मेवाड़ का पलड़ा भारी था, किन्तु देवगढ़ के रावत जसवन्त सिंह द्वारा 15000 नागा साधुओं के साथ युद्ध में भाग लेने से (रतनसिंह के पक्ष में) मेवाड़ की सेना की पराजय हुई। इस युद्ध में कई प्रमुख सरदार मारे गये। प्रमुख व्यक्ति कैद कर लिये गये।[5]

क्षिप्रा के युद्ध की पराजय एवं हानि ने मेवाड़ के महाराणा को भयभीत कर दिया।

उदयपुर में जब महाराणा ने अपनी पराजय का समाचार सुना तो उसके होश उड़ गये। इस समय मेवाड़ विशम स्थिति में था। उसके प्रमुख सरदार क्षिप्रा युद्ध में काम आ चुके थे। उसका प्रधान महता अगरचंद कैद में था। मेवाड़ की आर्थिक दशा बड़ी खराब थी। सैनिक शक्ति पर्याप्त दुर्बल हो गयी थी। सलुम्बर के रावत भीमसिंह ने महाराणा को ऐसी विशम परिस्थिति में अमरचंद बड़वा जैसे प्रतिभाशाली एवं सुयोग्य व्यक्ति को प्रधान पद समस्त अधिकारों सहित सौंपने की अभ्यर्थना की।[6] महाराणा ने इस सुझाव को स्वीकारते हुए अमरचंद बड़वा को प्रधान बनाया। अमरचंद बड़वा ने प्रधान बनते ही मराठा समस्या से निपटने के लिये प्रयास प्रारंभ किये। उसने सिंध व गुजरात से मुसलमान सैनिकों को बुलाकर पुनः युद्ध की तैयारी प्रारम्भ की। शहरपनाह के चारों ओर छोटे–छोटे किले बनवाये तथा नगर के कोट दरवाजे एवं खाई की मरम्मत करवाई। अमरचन्द बड़वा की सलाह से दुश्मनभंजन तोप एकलिंगगढ़ पर चढ़ाई गई। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब होने से मुसलमान सैनिकों को वेतन नहीं दिया जा सका था। अतः उनमें असंतोश था। परन्तु अमरचन्द ने अपनी प्रतिभा से सैनिकों का वेतन चुकाने का बुद्धिमतापूर्ण प्रयास किया। अमरचन्द ने राज्य के सोने, चांदी के बर्तन व रत्नादि मंगाकर सोने–चांदी के कम कीमत के सिक्के बनवाये तथा रत्नों को गिरवी रखकर सेना का चढ़ा वेतन चुकाया।[7]

सिन्धिया का उदयपुर घेरा :– रतनसिंह के समर्थक मेवाड़ गद्दी प्राप्त करने के प्रयत्न में महादजी सिंधिया को उदयपुर चढ़ा लाये। महाराणा अरिसिंह को सिंधिया के उदयपुर की ओर

आने का समाचार ज्ञात हुआ तो उसके प्रधान अमरचन्द ने तैयारी करना प्रारम्भ कर दिया। अमरचंद बड़वा ने पण्डित छाजुराम को जोधपुर व बीकानेर महाराजा से सैनिक सहायता लेने भेजा।[8] जोधपुर राजा विजयसिंह ने जयपुर के सवाई पृथ्वीसिंह को महाराणा की सहायता कर मेवाड़ में शांति स्थापित करने को कहा। परन्तु सवाई पृथ्वीसिंह का सहयोग तो स्पष्टतः रतनसिंह की तरफ था। प्रधान अमरचंद बड़वा ने मेवाड़ के सामंत सरदारों को भी शीघ्र ही उदयपुर बुला लिया। बदनौर का ठाकुर अक्षय सिंह व शाहपुरा के राजा रणसिंह को भी सेना सहित उदयपुर बुलाया गया।[9] स्थिति इतनी शोचनीय हो रही थी कि रूपाहेली का ठाकुर शिवसिंह जोधपुर महाराजा विजयसिंह के पास सहायतार्थ गया हुआ था, उसे पुनः लौट आने के लिए लिखा गया। तब वह जोधपुर से चार सौ सेनिकों के साथ उदयपुर आया।[10]

उधर विरोधी पक्ष भी महाराणा अरिसिंह के समर्थकों को तोड़कर अपनी ओर मिलाने में प्रयत्नशील था। बनेड़ा व शाहपुरा के राजाओं ने उनके पक्ष में जाना स्वीकार नहीं किया।

इधर उदयपुर में अमरचंद ने युद्ध की तैयारी हेतु गोला, बारूद आदि सामान एकत्रित कर लिया तथा मेवाड़ के सरदारों व सिपाहियों को ससैन्य विभिन्न दरवाजों व मोर्चो प नियुक्त कर उदयपुर शहर को चारों ओर से सुरक्षित कर दिया।

तब अप्रैल 1769 ई. के दूसरे सप्ताह में महाराणा अरिसिंह को गद्दी से हटाने के अभिप्राय से महादजी सिंधिया ने उदयपुर को घेर लिया। छः महीने तक घेरा रहने के उपरान्त भी सिंधिया अपने उद्देश्य की पूर्ति न कर सका। बाघसिंह ने दुखभंजन तोप की मार से मराठों को पास में आने का अवसर तक नहीं दिया। तब महादजी ने बाघसिंह को पचास हजार रिश्वत देकर तोप की मार बन्द कराना चाहा परन्तु स्वामिभक्त सरदार ने मराठों से रूपया लेकर भी तोप को पूर्ववत चलाना जारी रखा। महादजी के इस असफल प्रयास से मराठों की अपार क्षति हुई। उसे उदयपुर के विरूद्ध कोई नीति निर्धारित करने का विचार तक नहीं आया। चूंकि प्रधान अमरचन्द बड़वा की कुशल मागदर्शन के कारण मराठा सेना शहर के बाहर मैदान में थी तथा अरिसिंह की सेना सुरक्षित एवं ऊंचाई पर थी, जिससे मराठों की विजय तो दूर रही बल्कि उनकी जन–धन की हो रही हानि का अनुमान लगाना कठिन हो गया। इधर पेशवा द्वारा भेजा गयाा तुकोजी होल्कर रत्नसिंह के विरूद्ध महाराणा अरिसिंह की सहायता के लिये मेवाड़ आ गया। ऐसी स्थिति में महादजी सिंधिया बहुत चिन्तित हुआ। अतः सिंधिया ने स्थिति को और अधिक गंभीर होने से बचाने के लिये एक नया मार्ग ढूंढ निकाला। उसने होल्कर के विचारों से सहमत हो उससे एक संधि कर ली, जिसके अनुसार मेवाड़ से 35 लाख रूपये लेकर वे दोनों ही महाराणा का साथ देंगे। इस धन राशि में से 25 लाख रूपये पेशवा को भेजे जायेंगे और शेष 10 लाख रूपयों में से दोनों ही आधा–आधा हिस्सा लेंगे।[11]

अब स्थिति रतनसिंह के विपरीत एवं अरिसिंह के पक्ष में हो रही थी किन्तु यकायक सिंधिया के मस्तिष्क में परिवर्तन आया और उसने पुनः रतनसिंह का पक्ष ग्रहण कर लिया। परिणामस्वरूप तुकोजी होल्कर 2 जुन 1769 को यहाँ से लौट गया।[12]

महादजी सिंधिया एवं अरिसिंह के मध्य संधि :–

उदयपुर का घेरा पूर्ववत बना रहा। महादजी शीघ्र ही युद्ध समाप्त करने को इच्छुक था। वह केवल धन के लोभ में रतनसिंह का साथ दे रहा था। जैसे–जैसे दिन व्यतीत होते जा रहे थे उसका खर्चा बढ़ता जा रहा था। महादजी भलीभांति समझ गया कि रतनसिंह की ओर से उसे सहज ही में पैसा मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में महाराणा अरिसिंह ने अपने प्रधान अमरचंद, रावत भीमसिंह व पंचोली जसवंतराय के माध्यम से महादजी को धन देकर शांति स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। तब महादजी ने 23 जून 1769 को संधि प्रस्ताव स्वीकार कर 63 लाख रूपया लेने को तैयार हो गया।[13] किन्तु महादजी लोभवश संधि पर दृढ़ न रहा। उसने 20 लाख रूपयों की और मांग की उस समय अमरचन्द बड़वा ने दृढ़ता और कुटनीति का परिचय दिया संधि पत्र का फाड़ डाला और मेवाड़ के सैनिकों को सामंतों को पुनः मराठा आक्रमण हेतु जोश उत्पन्न किया और पुनः मराठा फौज पर आक्रमण कर दिया।[14] ऐसा समयोचित निर्णय की आशा तत्कालीन परिस्थितियों में एकमात्र अमरचन्द बड़वा से ही की जा सकती थी। अंत में यहां की कठिनाईयों ने महादजी सिंधिया को महाराणा से 60 लाख रूपया लेकर संधि प्रस्ताव स्वीकार करने को बाध्य कर दिया।[15] तब 21 जुलाई 1769 को एक और समझौता तैयार किया गया जिसमें इस राशि के अतिरिक्त संधि प्रपत्र की निम्नांकित शर्ते थी।[16]

1. रतनसिंह मंदसौर में रहे और 75000 रूपयों की जागीर दी जाये। यदि उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी मंदसौर छोड़कर अन्यत्र चला जाये तो उसका पक्ष न करके जागीर खालसे कर ली जावें। मंदसौर में सिवाय रावत भीमसिंह या उसके भाई बेटे के कोई भी अन्य सरदार उसके साथ नहीं रहेगा।
2. मेवाड़ में जहाँ कहीं भी सिन्धिया के 'थाणे' होंगे वे उठा दिये जावेंगे।
3. मेवाड़ में बाबल्या (मराठा सरदार) की सेना न रह सकेगी।
4. बेंगु से जो रूपये वसूल किये जायेंगे, वे इन रूपयों के अंतर्गत गिने जायेंगे।
5. सिंधिया को प्रदत परगनों के सामंतो के साथ पूर्ववत व्यवहार ही किया जायेगा तथा उनके साथ कोई छल कपट नहीं किया जायेगा।
6. रतनसिंह के साथ रहने वाली 2000 फौज का वेतन तीन मास तक महाराणा देगा। यदि इसके बाद भी वह फौज रखेगा तो वेतन वह स्वयं देगा।
7. महाराणा का वकील सिंधिया के यहां रहेगा तथा उसकी मान–मर्यादा का पुरा–पुरा ध्यान रखा जायेगा।
8. रतनसिंह के पक्ष के सरदारों ने नये सिरे से जिन गांवों आदि पर अधिकार किया है, उन पर पुनः महाराणा का अधिकार समझा जावेगा।
9. मेवाड़ में सिंधिया, बाबल्या, सदाशिव गंगाधर और बहीरजी ताकपीर ने जहां–जहां जब्ती की, वहां से 21 जुलाई 1769 ई. के बाद जो भी रकम वसूल की गई होगी वह सिंधिया के बाकी रूपयों में जमा कर ली जायेगी।

10. जितने रूपये सिंधिया को दिये जायेंगे वे तीनी सरदारों होल्कर, सिन्धिया व पेशवा में विभक्त कर लिये जायेंगे तथा रसीद श्रीमन्त (पेशवा) की मुहर के साथ मिलेगी।

11. मेवाड़ में रहकर अव्यवस्था फैलाने वाले जोगी वगेरह को सिंधिया निकाल देगा।

वास्तव में देखा जाये तो इन शर्तो में मराठा लाभ से सम्बन्धित शर्ते अधिक थी और गृहयुद्ध समाप्त कर मेवाड़ में शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी प्रावधान नहीं रखा गया था।

उधर अमरचन्द बड़बा के परामर्श से अरिसिंह ने मराठों को 60 लाख रूपया देना स्वीकार किया। जिसका विभाजन इस प्रकारसे निश्चित किया गया कि 25 लाख रूपया पेशवा को तथा 1 लाख 25 हजार रूपया होल्कर व इतने ही रूपये महाद जी सिंधिया लेगा किन्तु साथ ही 10 लाख रूपये सिंधिया को नजर व युद्ध खर्च के दिये जायेंगे। तब महाराणा ने यह रकम इस भांति चूका ना निष्चित किया।[17]

15 लाख रूपये के जवाहरात

10 लाख रूपये की नगदी

3,50,000 रू. सोना व नगद

50000 का कपड़ा

1,00,000 रू. की हुण्डी

5,00,000 रू. प. रघुनाथ सदाशिव राव को

10,00,000 रू.

2500000 रू.

3 शेष 35 लाख रूपयों की चार किश्तें की गई, जिसकी पहली 10 लाख रू. की किश्त तीन माह में चुकाया जाना तय हुआ (21 जुलाई 1769 से 18 अक्टूबर 1769)

4 दूसरी व तीसरी किश्त 7 लाख 50 हजार रू. (11 जन. 1770 से 10 अप्रैल 1770) 4 महीने में देना तय हुआ–

5 अंतिम 10 लाख रूपये की किश्त (जुलाई 1770) को चुकाया जाना निश्चित हुआ।

मराठों को आभूषणों के रूप में धन 18,25000 रूपये देने के बाद भी शेष रकम 41,75000 रूपये के बदले मेवाड़ के जावद, जीरण और नीमच के परगने गिरवे रखे गये।[17] 1771 में मेवाड़ के 62 गाँव गिरवी रखे गये। इस प्रकार मराठों को दी जाने वाली राशि के बदले में मेवाड़ भूमिका का लगभग एक तिहाई भाग उन्हें दे दिया गया था।[18]

उधर महादजी सिंधिया ने मेवाड़ के सामन्तों को महाराणा अरिसिंह के प्रति स्वामिभक्त रहने का आदेश जारी करते हुए लिखा कि जो भी सामंत महाराणा के विरूद्ध विद्रोह करेगा, वह दण्ड का भागी होगा। यदि मराठा सेनाएं कभी कभार उधर से निकले तो किसी प्रकार का संदेह न करे। वे तो मेवाड़ राज्य की रक्षार्थ रहेगी।[19]

महाराणा अरिसिंह एवं महादजी सिंधिया के बीच हुए समझौते से यद्यपि गृह कलह

सर्वथा के लिए समाप्त नहीं हुआ तथापि सिंधिया के रूप में आई एक महान विपत्ति का अन्त अवश्य हो गया। मराठों के सहयोग के बिना उसका प्रतिद्वन्दी रतनसिंह अब अधिक खतरनाक नहीं हो सकता था। महादजी सिंधिया को रतनसिंह से अलग करने में प्रधान अमरचन्द बड़वा सफल हो गया तथा महादजी की सेना इस शर्त पर अपने पास रखवा ली ताकि उसके माध्यम से विद्रोह को दबाया जा सके व मेवाड़ में शान्ति स्थापित हो सके। इन सब बातों से महाराणा ने प्रसन्न होकर अपने समर्थकों को उच्चपद व उपहार आदि प्रदान किये।[20]

समझौते के अनुसार धन देना मेवाड़ की आर्थिक दशा को देखते हुए सम्भव नहीं था। उधर मराठा शेष रकम के लिए जोर दे रहे थे। मेवाड़ की सहायता के लिए रखी हुई मराठा फौज अब धन वसूल करने के लिए दबाव डालने में काम आने लगी। साथ ही साथ इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहीरजी ताकपीर व चिलुजी आदि सरदारों को मेवाड़ भेजा गया। महाराणा को असमर्थ पाकर उन्होंने सीधा सामन्तों व जनता से धन वसूल करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार मेवाड़ के गांवों में मराठा उपद्रव पुनः शुरू हो गया था।[21] जबकि मराठों के इस कार्य का कोई ओचित्य नहीं था, क्योंकि समझौते की शर्ते अभी तक पूर्ण नहीं की गई थी। महाराणा द्वारा अपने सामन्तों की मराठा उत्पात से बचाने का प्रयास किया गया। महादजी मेवाड़ से अपनी शेष राशि वसूल करने के लिये गोविन्दराव को अपने प्रतिनिधि के रूप में छोड़ गया था। उसने महाराजा विजयसिंह को मेवाड़ की सहायता कर गोडवाड पर अधिकार स्थापित करने की सलाह दी। ताकि मेवाड़ में शांति होने पर शेष रकम वसूली जा सके[22] दूसरा मारवाड़ से भी उसे पेशकशी प्राप्त हो जाये।[22]

महाराणा अरिसिंह ने अपने प्रधान अमरचन्द बड़वा के प्रयासों से सिंधिया को तो अपनी ओर मिला लिया था और होल्कर भी महाराणा के पक्ष में था लेकिन अपने संबंधों को और मजबुत बनाने के उद्देश्य से अहिल्या बाई होल्कर को अपनी बहिन बनाया एवं कांचली के रूप में 25 मार्च 1771 ई. को निम्बाहेड़ा परगने के विनोटा, केलि और टाटरमाला गांव दिये। बाद में अहिल्याबाई होल्कर सिंधिया को दिये गये पट्टे के बराबर अपना हिस्सा मांगने लगी। तब महाराणा एवं होल्कर के मध्य करारनामा लिखा गया, जिसके अनुसार अरिसिंह ने निम्बाहेड़ा परगना को कुछ प्रमुख शर्तों जैसे अहिल्याबाई होल्कर की सेना महाराणा की सेवा में निम्बाहेड़ा में रहेगी। जिस दिन महाराणा इस सेना को अपनी चाकरी में नही रखेगा उसी दिन से इस परगने पर महाराणा का अधिकार हो जायेगा।[23]

अमरचन्द बड़वा जैसे योग्य प्रधान के कारण ही होल्कर के साथ निम्बाहेड़ा के सम्बन्ध में की गई शर्ते काफी सुलझी हुई थी, जो मेवाड़ राज्य के लिये उस समय लाभदायक थी।

जुलाई 1771 में रावत जसवंतसिंह ने महाराणा अरिसिंह के विरूद्ध जयपुर में नियुक्त फ्रांसीसी सेनापति समरू को अपने छोटे पुत्र स्वरूपसिंह के साथ मेवाड़ की ओर भेजा। ऐसी स्थिति में महाराणा ने अमरचन्द बड़वा के सुझाव से मराठो से इस सम्बन्ध में सहायता मांगी। गृहयुद्ध निरन्तर चलते रहने के पीछे जयपुर सहायता से मराठा भी भली–भांति परिचित हो गये

थे। इसलिये पेशवा सिंधिया, होल्कर व अन्य मराठा सेनानायकों ने जयपुर पत्र लिखकर अड़सी के विरूद्ध कार्यवाही करने से रोकना चाहा। होल्कर ने तो मेवाड़ में नियुक्त मराठा अधिकारी पं. गोविन्दराव को भी पत्र लिख कर आग्रह किया कि वह ऐसा प्रयास करे कि समरू व महाराणा में समझौता हो जाय। समरू ने महाराणा अरिसिंह की अधीनता स्वीकार कर ली।[24] इस समझौते से गृहयुद्ध की समस्या का तो अंत नहीं हुआ परन्तु समरू के रूप में आई हुई विपत्ति अड़सी के लिये अवश्य टल गई।

देवगढ़ का रावत जसवन्त सिंह गृहयुद्ध को प्रज्वलित रखने का निरन्तर प्रयास करता रहा। विद्रोहियों का मनोबल कमजोर था फिर भी जयपुर व जोधपुर के माध्यम से सैनिक सहायता प्राप्ति के प्रयत्न के साथ ही साथ मेवाड़ अभियान के लिए सैनिक एकत्रित करना प्रारंभ किया। इन तैयारियों के प्रति एक बार और प्रधान अमरचंद व महाराणा अरिसिंह ने मराठों का ध्यान केन्द्रित किया तो तुकोजी होल्कर ने जयपुर की मेवाड़ विरोधी कार्यवाही की कटु आलोचना करते हुए इसे बंद करने पर जोर दिया। इतना ही नहीं अपितु पेशवा ने महाराजा विजयसिंह को ढिल–मिल नीति छोड़ मेवाड़ का साथ देने को लिखा तथा उससे आग्रह किया कि जैसे पं. गोविन्द राव कहे उसी के अनुरूप वह अपनी नीति को क्रियान्वित करे।[25]

इस प्रकार मराठों का मेवाड़ को स्पष्ट समर्थन अरिसिंह के लिये लाभदायक रहा जो उसके योग्य प्रधान अमरचन्द बड़वा के मार्गदर्शन का ही परिणाम था। तब विद्रोहियों को न तो जयपुर से सैनिक सहायता मिल सकी न ही जोधपुर उनका साथ दे सका।[26]

इस प्रकार मेवाड़ के प्रधान अमरचन्द बड़वा सद्प्रयत्नों से मराठों को रूपये देकर उनके सहयोग को अपनी ओर बनाये रखा। अतः वह इस और से निश्चित सा था। इधर जब रतनसिंह का पक्ष निर्बल हो गया तो महाराणा ने जोधपुर के शासक से गोड़वाड प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जिसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अमरचन्द की बुद्धिमता पूर्ण परामर्श के कारण विजयसिंह से युद्ध करना उचित नही समझा।

महाराणा ने आठूण के विद्रोही सरदार गुमानसिंह की शक्ति समाप्त कर पहले उसके पुत्र दौलतसिंह और बाद में यह ठिकाना 1 फरवरी 1773 ई. को अपने प्रधान अमरचंद बड़वा को प्रदान किया।[27] जो उसकी राज्य के प्रति की गई सेवाओं का प्रतिफल थी, वह मेवाड़ राज्य का सच्चा हितेशी था।

9 मार्च 1773 को बुंदी के राव राजा अजीतसिंह ने महाराणा अरिसिंह को शिकार के समय हत्या कर दी।[28] अरिसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र हमीरसिंह जो अभी 11 वर्ष का ही था। 11 मार्च 1773 को मेवाड़ की गद्दी पर बेठा।[29] प्रधान अमरचन्द बड़वा ने महाराजा बाघसिंह व महाराजा अर्जुनसिंह जैसे स्वामिभक्त सरदारों के साथ मेवाड़ की सुरक्षा व शासन कार्य को सुचारू रूप संभालने का पुरजोर प्रयास किया।

किन्तु राजमाता ने अन्तःपुर के षड़यन्त्रों में प्रधान अमरचन्द बड़वा को विष दिलाकर हत्या कर दी। उस समय मेवाड़ के इस ईमानदार प्रधान के घर में से उसके कफन के लिये भी पैसा नहीं निकला। ऐसी दशा में उसकी उत्तर किया का सारा प्रबन्ध राज्य की ओर से किया

गया।[30]

राजमाता का यह कार्य घृणित था। अमरचन्द जैसे योग्य प्रतिभाशाली एवं दूरदर्शी प्रधान की अकारण हत्या से उत्पन्न उसकी रिक्तता को तब कोई नही भर सका। ऐसी स्थिति में मेवाड़ को अपने संकट काल में कई कठिनाईयों एवं दुर्दिनों का सामना करना पड़ा। निरन्तर अव्यवस्थित राजनीतिक दशा[31] के फलस्वरूप अड़सी के समय का बचा खुचा राज–कोष भी प्रायः रिक्त होने लगा। प्रधान अमरचन्द बड़वा ने तो मेवाड़ के रिक्त राजकोष के समय अपनी प्रतिभा से स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया था किन्तु उसके अभाव में अब मेवाड़ के कोष के संबंध में किसी ने भी विचार तक करने का प्रयास नही किया। परिणामतः इसका प्रभाव शीघ्र ही परिलक्षित होने लगा।

इस प्रकार प्रधान अमरचन्द बड़वा का मेवाड़ राज्य को सुदृढ़ बनाने में उनकी अतुलनीय सेवाओं के लिये सदैव प्रशंसनीय व सम्माननीय स्थान रहेगा। मेवाड़ के इतिहास में उनका योगदान अविस्मरणीय हैं।

सन्दर्भ

1. श्यामलदास– *वीरविनोद*, भाग–2, पृ. **1547**
2. के.एस. गुप्ता– *मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स;* एस चान्द एण्ड कम्पनी दिल्ली, 1971 पृ. **86**
3. जमनेश ओझा– *मेवाड़ का इतिहास* एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि. सन् 1980, पृ. 148
4. वही, पृ. **153**
5. श्यामलदास– *वीरविनोद*, भाग–2, पृ. **1556–57**
6. गो.ही ओझा– *उदयपुर राज्य का इतिहास*, भाग–2, राजस्थानी ग्रंथासर, जोधपुर 2015, पृ. **170**
7. श्यामलदास– *वीरविनोद*, भाग–2, पृ. **1558–59**
8. जोधपुर हुकुमत बही, पृ. 26
9. ओझा– *उदयपुर राज्य का इतिहास*, भाग–2, पृ. **178**
10. श्यामलदास– *वीरविनोद*, भाग–2, पृ. **1560–1562**
11. *नाथुलाल व्यास संग्रह*– साहित्य संस्थान उदयपुर, रजि. नं. 2, पृ. **35–43**
12. *शाहपुरा की ख्यात* खण्ड–2 पृ. **229**
13. *वीर विनोद* भाग 2 पृ. **1562–63** नाथूलाल व्यास संग्रह रजिस्टर नं. 1 (साहित्य संस्थान उदयपुर) पृ. **28**
14. के.एस. गुप्ता मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स पृ. **98**
15. आर.के. सक्सेना *मराठा रिलेशन्स विद दी मेजर स्टेटस ऑफ राजपूताना*, एस चन्द एण्ड क. दिल्ली 1973 पृ. **70**

16. टॉड कर्नल जेम्स एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान जिल्द 1 दिल्ली 1971 ई. पृ. **344** नाथूलाल व्यास संग्रह रजिस्टर नं. 2 पृ. **20–22**
17. ओझा *उदयपुर राज्य का इतिहास,* भाग 2 पृ. **655**
18. के.एस. गुप्ता *मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स* पृ. **102**
19. *वीर विनोद* भाग 2, पृ. **1563**
20. वही, पृ. **1566–68**
21. *व्यास संग्रह* रजिस्टर नं. 2 पृ. **132**
22. *व्यास संग्रह* रजिस्टर नं. 2 पृ. **290**
23. *वीर विनोद* भाग 2 पृ. **1575**
24. *वीर विनोद* भाग 2 पृ. **1576**
25. जमनेश ओझा *मेवाड़ का इतिहास,* पृ. **203**
26. ओझा *जोधपुर राज्य का इतिहास* भाग 2 पृ. **725**
27. ओझा *उदयपुर राज्य का इतिहास* भाग 2 पृ. **660–661**
28. *वीर विनोद* भाग 2 पृ. **1577**
29. *वीर विनोद* भाग 2 पृ. **1691–92**
30. *टॉड एनाल्स एण्ड एक्टीक्वीटीज ऑफ राज.* जिल्दा पृ. **347**
31. *वीर विनोद* भाग–2 पृ. **1692**